भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 176

मंगलवार, 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

'वोकल फॉर लोकल' स्टार्टअप को बढ़ावा देना

***176. श्री भारत सिंह कुशवाहः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ किए गए स्टार्टअप का ब्यौरा क्या है और उक्त स्टार्टअप में प्रशिक्षुओं के चयन के लिए विशेषकर मध्य प्रदेश सहित राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार क्या मानदंड हैं;

(ग) ग्वालियर जिले में चलाई जा रही स्टार्टअप योजनाओं के तहत वर्ष 2022-23 और 2023-24 में प्रशिक्षित और आर्थिक कार्यकलापों में लगे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का देश में ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 176 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवप्रयोग को बढ़ावा देने, सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना का निर्माण करने तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत की गई थी। यह विशिष्ट 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है जो भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनियाभर में बढ़ावा देती है। देश में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के जरिए निवेश आउटरीच संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित 27 क्षेत्रों पर फोकस करता है।

'वोकल फॉर लोकल' के भाग के रूप में 'मेक इन इंडिया' को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने दिनांक 19.07.2024 को यथा संशोधित सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 जारी किया है, ताकि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा सके तथा भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए, सरकार ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पूर्व कारोबार, पूर्व अनुभव और बयाना राशि जमा करने की शर्तों में छूट दी है जो गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अध्यधीन है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस द्वारा स्टार्टअप्स को सीधे सरकारी खरीदारों को बेचने के लिए भी इसे सक्षम बनाया गया है।

इसके अलावा, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल का उद्देश्य भी "वोकल फॉर लोकल" के तहत देश के प्रत्येक जिले के उत्पादों को बढ़ावा देना है। ओडीओपी पहल के तहत, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उत्पादों की पहचान की जाती है और प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों के माध्यम से मान्यता देकर, उत्पादों के सांस्कृतिक एवं पारंपरिक मूल्य को प्रकट करने वाली विशिष्ट पहचान विकसित करके, उत्पादकों, क्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाकर तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं ई-कॉमर्स का उपयोग करके

इन उत्पादों के लिए ब्रांडिंग, संवर्धन, कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और विपणन को बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रयास किए गए हैं ताकि ओडीओपी उत्पादों की उपलब्धता व बिक्री को अधिकतम किया जा सके।

सरकार भौगोलिक संकेतक (जीआई)-टैग वाले उत्पाद विनिर्माताओं को "वोकल फॉर लोकल" के भाग के रूप में वैश्विक बाजार तक पहुंच में मदद करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जैसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से विपणन। जीआई उत्पादकों और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, लघु फिल्मों और वीडियो के माध्यम से प्रचार-प्रसार तथा वैश्विक दर्शकों तक पहुंच के लिए पंजीकृत जीआई उत्पादों के डिजिटल कैटलॉग के निर्माण और प्रचार-प्रसार हेतु सहायता भी दी जाती है।

(ख) और (ग): स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने तथा देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की।

सा.का.नि. अधिसूचना सं. 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता दी जाती है। 31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 1,61,150 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है। 31 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 5,211 कंपनियों को मध्य प्रदेश राज्य में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता दी गई है।

31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों का मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की जाती है। स्टार्टअप द्वारा कर्मचारियों या अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देना

उनका अपना व्यावसायिक निर्णय है। इसलिए, उक्त स्टार्टअप में प्रशिक्षुओं के चयन के मानदंड तथा प्रशिक्षित और आर्थिक कार्यकलापों में संलग्न उम्मीदवारों का ब्यौरा सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ): कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) से संबंधित मामलों के लिए नोडल विभाग है। एमएसडीई के अनुसार, स्वायत्त संस्थानों नामतः राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के जरिए सरकार ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। ये संस्थान स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करते हैं और उनमें भाग लेते हैं। ये आयोजन स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों के सामने प्रदर्शित करने और उसे बेचने के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करते हैं। हाल के कुछ मेलों में मंथन, आदि महोत्सव, एडवांटेज असम, पूर्वोत्तर आदि महोत्सव, असम साहित्य सभा, आत्मनिर्भर धेमाजी और प्रकटन आवासी सम्मेलन शामिल हैं। ये जारी प्रयास स्थानीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और "वोकल फॉर लोकल" पहल के तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 176 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71
आंध्र प्रदेश	2,639
अरुणाचल प्रदेश	55
असम	1,514
बिहार	3,286
चंडीगढ़	539
छत्तीसगढ़	1,776
दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	66
दिल्ली	16,356
गोवा	596
गुजरात	13,400
हरियाणा	8,400
हिमाचल प्रदेश	578
जम्मू और कश्मीर	1,009
झारखंड	1,515
कर्नाटक	16,954
केरल	6,477
लद्दाख	18
लक्षद्वीप	3
मध्य प्रदेश	5,211
महाराष्ट्र	28,511
मणिपुर	185
मेघालय	63
मिजोरम	44
नागालैंड	88
ओडिशा	2,828
पुदुच्चेरी	167
पंजाब	1,775

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
राजस्थान	5,688
सिक्किम	13
तमिलनाडु	10,814
तेलंगाना	8,437
त्रिपुरा	147
उत्तर प्रदेश	15,360
उत्तराखंड	1,300
पश्चिम बंगाल	5,267
कुल	**1,61,150**

****